ग्राम पंचायत नेहरपाब विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, dated 7-4-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नेहरपाब के विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

क्र०सं०	नाम	अवधि
प्रधान		
1)	श्रीमती किरण बाला	1.4.2013 से 22.1.2016
2)	श्रीमती अन्जू बाला	23.1.2016 से 31.3.2016
सचिव		
1)	श्री संजय ठाकुर	1.4.2013 से 9.9.2015
2)	श्रीमती सरला देवी	10.9.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत नेहरपाब के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र०सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1.	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	7	4.23
2.	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	0.28
3.	बैंक से आहरित की गई राशि के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12	0.96
4.	पंचायत निधि से व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	16	1.85
5.	अनाधिकृत मोहर(Stamp) का प्रयोग किए बिना तथा बिना सत्यापन के निधि से भुगतान करना	18	12.48
6.	कोटेशने/निविदायें प्राप्त किए बिना क्रय करना	19	8.45
7.	पंचायत वित्त नियम 17(2) की अवहेलना कर बिना पावती/रसीद के भुगतान करना	22	2.45

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नेहरपाब, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8.6.2016 से 14.6.2016 के दौरान ग्राम पंचायत नेहरपाब के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए क्रमशः 2/2014, 11/2014, 9/2015 तथा व्यय हेतु 3/2014, 1/2015, 3/2016 के मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत नेहरपाब विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेशित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः जी0पी0ऑडिट/एस0एल0एन/2016–17–07, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सचिव, पंचायत नेहरपाब से अनुरोध किया गया, तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत नेहरपाब के पत्रांक सं0पं0घ0 नेहरपाब 6/2016, दिनांक 9.6.2016 (बैंक ड्राफ्ट संख्याः 399407, दिनांक 9.6.2016, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित राजगढ़) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(क) स्वयं स्त्रोतः– ग्राम पंचायत नेहरपाब के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–"क"** में दिया गया है।

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत नेहरपाब के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 से 3** में भी दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत नेहरपाब की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में बैंक कॉलम नहीं बनाया गया है, जिस कारण प्रत्येक माह का प्रारम्भिक व अन्तिम शेष ज्ञात नहीं किया जा सकता है तथा रोकड़ बही व बैंक खातों के मिलान भी नहीं किए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संर्कम, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहीयों का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः

रोकड़ बही में बैंक कालम बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रोकड़ बहीयों का नियमानुसार बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संर्कम, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान की ₹4.23 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–''ख'')** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹4,22,674 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 पंचायत द्वारा मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का न बनाया जाना

ग्राम पंचायत नेहरपाब के स्वयं के स्त्रोत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच/अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अभिलेख हेतु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिसकी अनुपस्थिति में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवर्ष पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से कितनी आय प्राप्त होनी वांछित है तथा कितनी राशि प्राप्त की गई है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संर्कम, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप–10 में ग्राम पंचायत का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता तथा गृहकर से ₹28,400 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ग्राम पंचायत नेहरपाब के स्वयं के स्त्रोत से आय की जांच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है और पंचायत का स्वयं के स्त्रोत की आय पर उचित नियन्त्रण न होने के कारण उसमें वर्ष प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। ग्राम पंचायत को वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान स्वयं के साधनों से प्राप्त आय विवरण संलग्न **परिशिष्ट–''क''** पर दिया गया है जिसमें कि पंचायत को गृहकर, पंचायत क्षेत्र में मोबाईल टावर, शराब कारोबारियों से

प्राप्त शुल्क/लाईसैंस फीस तथा पंचायत द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों से प्राप्त होने वाले शुल्क को भी शामिल किया गया है। पंचायत द्वारा निर्धारित दरों से सम्बन्धित प्रस्ताव व दर सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई और न ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर लगाया गया है, जिसकी अनुपस्थिति में पंचायत की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान बारे सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, परन्तु पंचायत कार्यालय में मौजूद कुछ रसीद बुकों (रसीद बुक संख्या 3061) के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2012 में गृहकर की दर ₹25/– प्रति परिवार प्रति वर्ष थी और वर्ष 2013–14 से 2015–16 में परिवारों की संख्या इस प्रकार थी।

क्र०सं०	वर्ष	परिवारों की संख्या	परिवार रजि० पृष्ठ सं०
1.	2013–14	350	148
2.	2014–15	388	147
3.	2015–16	398	146
	कुल संख्या	**1136**	

अतः पिछले तीन वर्षों में मात्र गृहकर से ही पंचायत को ₹28,400 (1136 x 25) की वसूली/आय प्राप्त होनी वांछित थी, जबकि गृहकर से प्राप्त कोई भी राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं हुई है, जिसे वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इसी प्रकार अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय की वसूली हेतु भी पंचायत द्वारा उचित पत्र उठाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पंचायत की आय में वृद्धि हेतु आय की वर्षों पुरानी निर्धारित दरों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है जिस बारे ग्राम सभा की आय बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

10 रसीद संख्या 3061 (1 से 100) से प्राप्त ₹2940 को पंचायत आय में जमा न करना

पंचायत सचिव द्वारा रसीद संख्या 3061/1 से 3061/100 के अन्तर्गत पंचायत को प्राप्त होने वाले गृहकर/राशन कार्ड शुल्क की वसूली पंचायत क्षेत्र के लोगों से की गई है, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा न तो इस प्राप्त ₹2940 को रोकड़ बही में और नही बैंक खाते में जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त रसीद बुक की रसीद संख्या 3061/14 व 15 को खाली छोड़ा गया है। पंचायत सचिव द्वारा मात्र रसीद बुक के प्रारम्भ में दिनांक 6.10.2012 दर्शाया/लिखा गया है और रसीद को जारी करते समय कहीं भी दिनांक व हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तथा न ही रसीद बुक को रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹2940 की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके पंचायत निधि में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 पंचायत द्वारा प्राप्त की गई रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर व खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़ से प्राप्त रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई है तथा न ही पंचायत में रसीदों के स्टॉक रजि0 का रख–रखाव किया गया है, जबकि पंचायत वित्त नियम 5(4) व 5(5) में रसीदों को प्राप्त करने के तुरन्त बाद रसीदों की निर्धारित प्रारूप के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करनी अनिवार्य है। स्टॉक रजिस्टर की अनुपस्थिति में पंचायत राजस्व के गबन व दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः पंचायत नेहरपाब को प्राप्त हुई सभी रसीद बुकों की विस्तृत जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि रसीद बुकों के माध्यम से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से पंचायत खाते में जमा कर दिया गया है।

12 बैंक से आहरित की गई ₹0.96 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का पंचायत कार्यालय में न होना

ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि से किए गए व्यय बिलों व रोकड़ बही की जांच के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि से जो राशि आहरित की गई है उसके समर्थन में पंचायत कार्यालय में आवश्यक व्यय अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिस हेतु अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3, दिनांक 8.6.2016 जारी की गई, जिसमें से कुछ व्यय बिलों/वाऊचरों की अंकेक्षण द्वारा पुष्टि कर ली गई तथा कुछ बिल/वाऊचर जिनका उल्लेख संलग्न **परिशिष्ट–4** में तथा सचिव पंचायत द्वारा अधियाचना संख्या 3 के प्रत्युत्तर दिनांक 9.6.2016 में भी किया गया है से सम्बन्धित ₹95,800 के बिल/वाऊचर कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। अतः ₹95,800 का बिना बिल/वाऊचरों के आहरण पंचायती राज वित्त नियम 2002 के वित्त नियम 47(1)(2) की स्पष्ट अवहेलना है तथा आहरित राशि का दुर्विनियोजन व गबन प्रतीत होता है, जिसकी नियमानुसार जांच की जानी वांछित है तथा बिल/वाऊचरों के अभाव में ₹95,800 की सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि की दण्ड ब्याज सहित वसूली जानी वांछित है।

13 सामान्य निधि बैंक खाते से ₹1100 का आहरण

ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा दिनांक 27.3.2015 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के खाता संख्या 56310100028 से ₹1100 का आहरण किया गया है, परन्तु इस राशि से सम्बन्धित कोई भी भुगतान रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया है। अतः ₹1100 का आहरण बिना किसी औचित्य के करने को स्पष्ट करते हुए बैंक खाते से आहरित उक्त राशि को दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारी से वसूल करके बैंक खाते में जमा करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 अनुदानों पर प्राप्त ब्याज की ₹0.28 लाख को स्वयं के स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संर्कम, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(i) के अनुसार नियम 3 के कोड़ संख्या 1 से 50 में सन्दर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं के स्त्रोत की आय माना गया है तथा खाता–ए (Account-A) में शामिल किया गया है। इसी प्रकार नियम 3 के कोड़ संख्या 51 से 99, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को भी शामिल किया गया है तथा खाता बी (Account-B) में रखा गया है। खाता–बी पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व जुलाई में खाता–ए (स्वयं के स्त्रोत की आय) में स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है। अतः ग्राम पंचायत को विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज की ₹27,646 जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय में स्थानांतरित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹27,646 को खाता–ए में स्थानांतरित करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	अनुदान स्त्रोत	वर्ष		
		2013–14	2014–15	2015–16
1.	जलागम परियोजना	1863	1959	1660
2.	मनरेगा	1964	1333	–
3.	इन्दिरा आवास योजना	1043	3650	1084
4.	राजीव/अटल आवास योजना	784	816	851
5.	बी0आर0जी0एफ	4260	2935	3424
		9934	**10693**	**7019**
	कुल राशि	**₹27,646**		

15 मनरेगा खाते से स्थानान्तरित ₹4828 के स्थानान्तरण की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा मनरेगा अनुदान योजना के संचालन हेतु पंजाब नैशनल बैंक राजगढ़ व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक राजगढ़ में खाते खोले गए थे, जिनमें जमा राशि को दिनांक 31.3.2015 को खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़ के खाते में स्थानान्तरित किया गया दर्शाया गया है, परन्तु स्थानान्तरित राशि की पुष्टि हेतु अंकेक्षण को कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। मनरेगा खाते से स्थानान्तरित राशि का विवरण निम्नानुसार है, जिसकी स्थानान्तरण राशि की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र० सं०	स्थानान्तरित राशि	दिनांक	चैक संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या जिससे राशि स्थानान्तरित की गई
1.	3080	7.1.15	448346	पंजाब नैश्नल बैंक राजगढ़	14353
2.	1273	31.3.15	448348	पंजाब नैश्नल बैंक राजगढ़	14353
3.	447	8.1.15	112927	हि0प्र0राज्य स0 बैंक सीमित राजगढ़	12598
4.	28	30.1.15	कोई व्याख्या नहीं	हि0प्र0राज्य स0 बैंक सीमित राजगढ़	12598
कुल	**₹4828**				

16 पंचायत निधि से व्यय की गई ₹1.85 लाख से सम्बन्धित अनियमितताएं

ग्राम पंचायत नेहरपाब के अवधि 4/2013 से 3/2016 के व्यय बिलों की जांच/अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–5** में वर्णित ₹1,84,888 के भुगतान में गम्भीर अनियमितताऐं की गई हैं। अतः नियमानुसार यह भुगतान मान्य नहीं है अर्थात निम्न कारणों से भुगतान नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होते हैं।

(क) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार प्रत्येक भुगतान शब्दों व अंकों में ग्राम पंचायत प्रधान से सत्यापित होना आवश्यक है परन्तु इन भुगतानों को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। जैसा की **परिशिष्ट–5** के साथ संलग्न व्यय बिलो के अवलोकन से स्पष्ट है।

(ख) पंचायत वित्त नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार प्रत्येक व्यय बिल का भुगतान Crossed cheque से ही किया जाना चाहिए परन्तु पंचायत सचिव द्वारा भुगतान स्वयं के चैक से आहरित करने के उपरान्त नकद रूप में किया गया है, जोकि नियमानुसार नहीं है।

(ग) वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक के क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी आवश्यक है ताकि प्रतियोगि मूल्यों का लाभ उठाया जा सके परन्तु पंचायत प्रधान/सचिव द्वारा कोई निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई है।

(घ) नियम 69 के अनुसार प्रत्येक क्रय की गई वस्तु/सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट करना अनिवार्य है जबकि क्रय किए गए सामान की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है।

(ड़) नियम 56 के अनुसार प्रत्येक भुगतान की पावती प्राप्त की जानी अनिवार्य है, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा कोई भी पावती प्राप्त नहीं की गई है।

अतः पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–5** में वर्णित ₹1.85 लाख के व्यय में पाई गई अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 ग्राम पंचायत कोठिया जाजर हेतु ₹4000 का अनाधिकृत भुगतान करना

ग्राम पंचायत नेहरपाब के सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की सामान्य निधि से चैक संख्याः 302177, द्वारा ₹30,000 का आहरण करके उसका भुगतान **परिशिष्ट–6** के क्रम संख्याः 1 से 3 पर दिए गए विवरण के अनुसार तीन विभिन्न पक्षों/आपूर्तिकर्ताओं को किया गया है, जिसमें से ₹4000 का भुगतान श्री जय प्रकाश सुपुत्र श्री भगत राम को पत्थर के ढुलान हेतु ग्राम पंचायत कोठिया जाजर को किया गया है। अतः ग्राम पंचायत नेहरपाब के खाते से ₹4000 के उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹4000 की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 अधिकारिक (official) रूप से जारी ग्राम पंचायत नेहरपाब की मोहर (Stamp) का प्रयोग न करके ₹12.48 लाख का भुगतान

ग्राम पंचायत नेहरपाब के व्यय बिलों की जांच/अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के खाते से अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹12,48,119 का भुगतान ग्राम पंचायत प्रधान को अधिकारिक रूप से जारी मोहर का प्रयोग न करके ग्राम पंचायत नेहरबाग का प्रयोग करके किया गया है, जिसके नमूने का अवलोकन करने हेतु कुछ व्यय बिलों को **परिशिष्ट–6** के साथ संलग्न किया गया है तथा अधिकारिक रूप से जारी मोहर के नमूने के प्रारूप का अवलोकन करने हेतु भी मैं0 विजय स्टेशर्नस, राजगढ़ का बिल संख्या 99, दिनांक 9.2.2016 व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी रसीद संख्या 0451903, दिनांक 5.12.2015 संलग्न की गई है। जिन बिलों के अन्तर्गत अधिकारित रूप से जारी की गई मोहर से सत्यापित किया गया है और जिन बिलों को नेहरबाग की मोहर से सत्यापित किया गया है उन दोनों के हस्ताक्षरों में भी समानता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नेहरबाग के खाते से अवधि 4/2013 से 3/2016 तक ₹12,48,119 के बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत नेहरबाग की मोहर द्वारा सत्यापित करके किया गया है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–6** में दिया गया है। अतः इस आशय का औचित्य स्पष्ट किया जाए कि जब पंचायत कार्यालय में प्रधान को अधिकारिक रूप से जारी मोहर मौजूद थी तो किसी अन्य मोहर से व्यय बिलों

को सत्यापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसके अतिरिक्त यह जांच की जाये कि क्या **परिशिष्ट–6** में वर्णित ₹12,48,119 ग्राम पंचायत नेहरपाब के अन्तर्गत करवाये गए विकास कार्यों पर प्रयोग की गई क्योकि इन भुगतानों से सम्बन्धित पावती भी कार्यालय अभिलेखों में नहीं पाई गई जिसकी पुष्टि कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 नियमों की अनुपालना न करके ₹8.45 लाख के सामान का अनियमित प्रकार से क्रय करना

पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 64 में पंचायत द्वारा क्रय से सम्बन्धित नियमों/औपचारिकताओं का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा इन नियमों की अवहेलना करके ₹8,44,904 का क्रय किया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–7** पर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :–

(क) वित्तीय नियमों के अनुसार ₹3000 से अधिक एवं ₹50,000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फर्मों से निविदायें आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है, जबकि पंचायत द्वारा कोई निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई।

(ख) वित्त नियम 69 के अनुसार प्रत्येक क्रय की गई सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य था, जोकि नहीं किया गया।

(ग) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों में देय रकम को इसमें विर्निदिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित न किया गया हो। जबकि ऐसा नहीं किया गया।

(घ) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है, जोकि नहीं की गई।

(ड़) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाऊचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख का अंकित होना अनिवार्य है, जोकि नहीं की गई।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित किसी भी औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही ₹8,44,904 का क्रय किया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके भविष्य में नियमानुसार ही अतिरिक्त क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 बिना किसी प्रयोजन के ₹40,000 के भुगतान बिल कार्यालय के अभिलेख में रखना

ग्राम पंचायत नेहरपाब के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत कार्यालय में ₹40,000 के बिल प्रधान द्वारा सत्यापित किए बिना ही रखे गए हैं जिनमें से ₹30,000 मस्टरोल नम्बर 42, माह 8/2015 से सम्बन्धित हैं, जोकि मजदूरों को देय राशि दी गई दर्शाई गई है तथा ₹10,000 के बिल दरवाजे/खिडकियों से सम्बन्धित है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–8** पर तथा उसके साथ संलग्न किए गए बिलों की छायाप्रति में दिया गया है। यद्यपि न तो इस राशि के भुगतान हेतु बैंक से राशि आहरित की गई है और न ही इन मदों को रोकड़ बही में दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट किया जाये कि इन दस्तावेजों को एकत्रित करके किस प्रयोग हेतु रखा गया है न तो इन बिलों पर कार्य से सम्बन्धित कोई विवरण दिया गया है और न ही इसे प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है।

21 सामान्य निधि से ₹40,000 के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं

सामान्य निधि के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 13.8.2015 को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत नेहरपाब को सामुदायिक चबूतरा पाब के निर्माण हेतु विधायक निधि के अन्तर्गत ₹60,000 प्राप्त हुई, जिसे रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 104 पर दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत नेहरपाब को मैं0 रविन्द्र शर्मा फेब्रीकेटर द्वारा बिल संख्या 091, दिनांक 25.12.2014 द्वारा 861 कि0 ग्राम रेलिंग फेब्रीकेशन @65/- कुल ₹55,965 का बिल प्रस्तुत किया गया तथा मै0 नरेश गुडस केरियर द्वारा 180 बैग सिमेन्ट ₹50/– प्रति बैग के हिसाब से ₹9050 का बिल (बिल संख्या 361, दिनांक 2.1.2015 द्वारा) भी प्रस्तुत किया गया जिसके भुगतान हेतु बैंक खाते से ₹40,000 का आहरण चैक संख्या 302164, दिनांक 15.1.2015 द्वारा किया गया है जिसमें से ₹30,965 की राशि का भुगतान मैं0 रविन्द्र शर्मा को तथा ₹9035 का भुगतान मैं0 नरेश कुमार गुडस केरियर को किया गया दर्शाया गया है जिनमें निम्न अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई :–

(क) विधायक निधि से राशि प्राप्त होने से पूर्व ही राशि के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) सामुदायिक चबूतरा पाब के निर्माण हेतु तैयार किए गए अनुमान, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय करने सम्बन्धी स्वीकृति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जिसके बिना ही कार्य निष्पादन का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) रेलिंग फेब्रीकेशन से सम्बन्धित बिल में देय ₹50,000 से अधिक होने के कारण निविदायें (Tender) आमन्त्रित न करने तथा रेत हेतु कोटेशनें आमन्त्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) बैंक खाते से ₹40,000 का आहरण चैक संख्याः 302164, दिनांक 15.1.2015 द्वारा किया गया है। अतः स्पष्ट किया जाए कि एक ही चैक द्वारा दो भिन्न–भिन्न पक्षों को किस प्रकार भुगतान किया गया है, जबकि भुगतान से सम्बन्धित कोई भी रसीद/पावती बिलों के साथ संलग्न नहीं है।

(ड़) क्रय की गई वस्तु/सामग्री को भण्डारण रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(च) बिल में दर्शाई गई राशि का भुगतान प्रधान से सत्यापित करवाये बिना ही किया गया है, जैसा की बिलों की छाया प्रति जोकि **परिशिष्ट–5** के साथ संलग्न है, से स्पष्ट होता है। अतः भुगतान मान्य नहीं है।

(छ) कार्य को करवाने हेतु ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिसका बिलों पर कोई उल्लेख नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत ₹40,000 की बैंक से निकासी व इसका भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कर वास्तविकता से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

22 पंचायत वित्त नियम 17(2) की अवहेलना करके ₹2.45 लाख का भुगतान बिना पावती के करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(2) के अन्तर्गत ₹1000 से अधिक का भुगतान मात्र चेक से ही करने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना न करके ग्राम पंचायत द्वारा बैंक से एक ही चैक राशि को स्वयं के नाम से (Self Cheque) आहरित करके विभिन्न

आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के पक्ष से भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जिनका विवरण **परिशिष्ट–9** पर दिया गया है। जबकि एक चैक द्वारा मात्र एक ही पक्ष को राशि का भुगतान किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट–9** में वर्णित जिन पक्षों को ₹2,45,225 का भुगतान किया गया है, उनसे भुगतान प्राप्ति की पावती भी प्राप्त नहीं की गई है, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए विभागीय स्तर पर जांच की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 पंचायत द्वारा करवाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमितताऐं

पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेज़ों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत कार्यालय में पंचायत के माध्यम से करवाये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित तकनीकि स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति व सक्षम अधिकारी से व्यय करने की स्वीकृति उपलब्ध नहीं है तथा पंचायत द्वारा किसी भी कार्य विशेष को करवाने से सम्बन्धित क्रय की न तो स्टॉक स्टोर रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है और न ही क्रय करने से पूर्व तैयार किए गए अनुमान के आधार पर निर्माण सामग्री का क्रय किया गया है। निर्माण सामग्री अर्थात रेत/बजरी प्रति टिप्पर व पत्थर आदि को प्रति चट्टे के हिसाब से क्रय किया जा रहा है, जिससे क्रय की गई सामग्री की मात्रा व दर की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है और पंचायत निधि के दुरूपयोग की भी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। निर्माण/मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित किए गए कुछ क्रय का विवरण निम्नानुसार है।

(क) गांव भूईरा में रास्ते का निर्माण, स्वीकृत राशि 3,80,000

क्र० सं०	क्रय की सामग्री	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	विवरण
1	पत्थर	13.5 टिप्पर	3000	40,000	मै0 राणा ट्रांसपोर्ट कम्पनी राजगढ़, बिल संख्याः 48, दिनांक 6.3.15
2	रेत	200 फुट	50	10,000	मैं0 पुन्डीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी राजगढ़
	बजरी	200 फुट	50	10,000	बिल संख्या 1031, दिनांक 8.3.2015

(ख) गांव भूईरा में सामुदायिक भवन का निर्माण, अनुमानित लागत ₹1,80,000

क्र० सं०	क्रय की सामग्री	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	विवरण
1	रेत	1 टिप्पर	10,000	10,000	मै0 राणा ट्रांसपोर्ट कम्पनी राजगढ़,
2	बजरी	1½ टिप्पर	15000	15000	बिल संख्याः 47, दिनांक 8.8.2015
3	सीमेन्ट	50 बैग	279.40	13970	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजगढ़ बिल नम्बर 3466, दिनांक 6.7.2015

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु अपनाई गई प्रक्रीया बिलकुल भी सही नहीं है। अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, कार्य का अनुमान, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए तथा निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री की माप पुस्तिका तथा अन्य सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर

में प्रविष्टि की जाए तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय का ब्यौरा पूर्ण रूप से खाता बही में दर्ज किया जाए, क्रय करने हेतु नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाये, क्रय के वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित की जाये तथा किसी कार्य विशेष में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का उपभोग रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 निविदायें प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन करना

ग्राम पंचायत नेहरपाब द्वारा विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अर्थात मनरेगा, पिछडावर्ग राहत अनुदान कोष (BRGF) व अन्य विविध अनुदानों से प्राप्त राशि से करवाये जा रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय बिलों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की जा रही सामग्री को निर्माण कार्य अनुमान के आधार पर क्रय न करके प्रति टिप्पर व प्रति चटठे (पत्थर का क्रय) के आधार पर क्रय किया जा रहा है, जिससे कि उपयोग में लाई गई, प्राप्त की गई व शेष सामग्री की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। किसी विशेष निर्माण कार्य पर कितनी राशि का व्यय किया गया है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री की नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित वस्तुओं को क्रय करने से पूर्व निविदायें/कोटेशनें प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–10** में दिया गया है, जिस हेतु नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित की जानी वांछित थी, ताकि पंचायत को प्रतियोगी मुल्य का लाभ प्राप्त हो सकता तथा पंचायत के धन से न्यूनतम मुल्य पर अधिक से अधिक कार्य करवाया जा सकता। इसके अतिरिक्त खाताबही में कार्य विशेष पर व्यय की जाने वाली राशि का सम्पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए तथा पृथक–पृथक कार्य की नस्तियां भी पृथक ही बनाई जानी चाहिए जिससे कार्य की तकनिकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय करने की स्वीकृति के अतिरिक्त कार्य का अनुमान व इससे सम्बन्धित सभी व्यय बिलों/वाऊचरों को नस्ति/नत्थी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करना

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकिदार, पशु चिकित्सक सहायक व सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

26 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 प्रत्यक्ष सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

29 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख एवं सभी निधियों की रोकड़ बही को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(x)2/2016—,खण्ड—1—5745—5749 दिनांकः05.11.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत नेहरपाब विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्याः 1**(ख)** में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0
5. वरिष्ठ महालेखाकार(स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला—171003

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009